18.10.22 आवेदक सहित श्री ऐश्वर्य भटनागर अधिवक्ता उपस्थित।

अभिलेखागरर से मूल अभिलेख तलब किये जाने पर प्रस्तुत हुआ।

संबंधित बैंक बी.ओ.आई शाखा भानपुरा से स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत भुगतान में यह उल्लेखित किया गया है कि नेशनल लोक अदालत दिनांक ~~15.4.2021~~ (27.2.2021) को उभयपक्ष आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से राशि 35,000/में तय होने से अवार्ड रूपये 35000 का पारित किया गया था। उकत राशि संबंधित बैंक में बीमा कंपनी की ओर से चेक के माध्यम से जमा की जा चुकी है इसलिय जमा की गई अवार्ड राशि आवेदकप्राप्त करने के अधिकारी है अतः आवेदक राहुल को जमा अवार्ड राशि आदेशानुसार देय किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रस्तुत मूल अभिलेख एवं अवार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित होता है कि दिनांक ~~15.4.2021~~ (27.2.21) को नेशनल लोक अदालत में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी से आपसी राजीनामा रूपये 35,000 रूपये/-में तय होने से अवार्ड पारित किया गया था।उक्त अवार्ड राशि में से ~~50~~ 7 प्रतिशत राशि आवेदक नगद भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया है तथा तथा शेष राशि की दो वर्षीय सावधि जमा के रूप में दिये जाने हेतु आदेश दिया गया है। अतः उपरोक्तनुसार आवेदक अवार्ड राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

बैंक ऑफ इंडिया शाख भानपुरा से स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ है जिसका अवलोकन किया गया अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक ~~15.4.2021~~ (23.4.21) को बीमा कंपनी की ओर से नेप्ट के माध्यम से रूपये 35000/'- हजार रूपये /-जमा किये गये है जो इस न्यायलाय के खाते में जमा होना दर्शित होता है। अतः संबंधित राशि आवेदक आदेशानुसार प्राप्त करने का अधिकारी होने से भुगतान हेतु पहचान के संबंध में आधार कार्ड की प्रति पेश करने एवं भुगतान रजिस्टर में अपना फोटो चस्पा करने पर किये जाने चेक तैयार कर दिये जावे।

आवेदक की पहचान श्री ऐश्वर्य भटनागर अधिवक्ता द्वारा की गई।

राहुल
पहिचाना
Aishwarya

अतिरिक्त सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भानपुरा जिला-मन्दसौर (म.प्र.)